

विधि (प्रश्न-पत्र I)
LAW (Paper I)

समय : तीन घण्टे
Time Allowed : Three Hours

अधिकतम अंक : 250
Maximum Marks : 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी अनुदेश

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें।

कुल आठ (8) प्रश्न दो खंडों में दिए गए हैं तथा वह हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपे हुये हैं।

परीक्षार्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न क्रमांक 1 एवं 5 अनिवार्य हैं। शेष प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनते हुए तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक प्रश्न के अंत में सूचित हैं।

प्रवेश-पत्र में प्राधिकृत माध्यम में उत्तर लिखना आवश्यक है तथा यह क्यूसीए (Question-cum-Answer) पुस्तिका में निर्दिष्ट जगह पर उल्लेख करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गये उत्तरों को अंक नहीं दिये जायेंगे।

प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किये गये शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए।

प्रश्नों के उत्तर क्रमिक विन्यास में गिने जायेंगे। नहीं काटे गए प्रश्न के उत्तर को भी गिनती में लिया जायेगा यद्यपि उसके उत्तर आंशिक रूप में दिए गए हों। उत्तर-पुस्तिका में कोई पन्ना या पन्ना के अंश अगर खाली हैं तो उसे/उन्हें स्पष्ट रूप से काट देना जरूरी है।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

There are EIGHT questions divided in Two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the answer book must be clearly struck off.

खण्ड 'A' SECTION 'A'

1. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, जो प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में होने चाहिए :
Answer the following in about 150 words each : 10×5=50
- 1.(a) 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार' के महत्व पर हाल की निर्णयजन्य विधियों का उल्लेख करते हुए, चर्चा कीजिए ।
Discuss the importance of 'Right to life and personal liberty' with reference to recent case laws. 10
- 1.(b) क्या 'पंथ निरपेक्षता' भारत के संविधान का एक सारभूत लक्षण है ? विनिश्चयित निर्णयज विधि के प्रकाश में स्पष्ट कीजिए ।
Is 'Secularism' an essential feature of the Constitution of India ? Explain in the light of decided case laws. 10
- 1.(c) संविधान के अंतर्गत, भारत के उच्चतम न्यायालय की दांडिक विषयों में अपीली अधिकारिता की व्याप्ति को सविस्तार स्पष्ट कीजिए ।
Elucidate the scope of the appellate jurisdiction of the Supreme Court of India under the constitution with regard to Criminal matters. 10
- 1.(d) भारत में न्याय के ट्रिब्यूनलीकरण की परिघटना को स्पष्ट कीजिए ।
Explain the phenomenon of tribunalisation of justice in India. 10
- 1.(e) संक्षेप में उन आधारों को स्पष्ट कीजिए जिनके अधीन प्रशासनिक कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है ।
Briefly explain the grounds on which administrative actions can be subjected to judicial review. 10
- 2.(a) राज्य में राज्यपाल की स्थिति क्या होती है ? संविधान के अंतर्गत, राज्यपाल के क्षमाकरण अधिकार का परीक्षण कीजिए । क्या क्षमाकरण अधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है ?
What is the position of the Governor in a State ? Examine the Pardoning Powers of the Governor under the Constitution. Is Pardoning Power, subject to judicial review ? 20
- 2.(b) स्थानीय शासन में, पंचायत राज संस्था के महत्व की दृष्टि से, क्या आपके विचार में स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने के लिए, शैक्षणिक योग्यता विहित करने का विचार अलोकतांत्रिक और असंबद्ध है ?
In view of the importance of Panchayat Raj institution in local governance, do you think the idea of prescribing educational qualification to contest local body election is undemocratic and incoherent ? 15
- 2.(c) प्रशासनिक निर्णयों में 'दूसरे पक्ष को भी सुनो' (ऑडी आल्टेराम पार्टेम) नियम के महत्व की व्याख्या कीजिए और उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके अंतर्गत 'पश्च विनिश्चयी सुनवाई' प्राकृतिक न्याय के ओदश को प्रभावी ढंग से संतुष्ट कर सकती है ?
Explain the significance of the rule of 'AUDI ALTERAM PARTEM' in administrative decision making and state the circumstances under which 'post decisional hearing' can effectively satisfy the mandate of natural justice. 15
- 3.(a) संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध पर सांविधानिक उपबंधों का, प्रशासनिक शक्ति के अंतरा-सरकारी प्रत्यायोजन पर विशेष बल देते हुए, मूल्यांकन कीजिए ।
Evaluate the constitutional provisions relating to administrative relation between the Union and the State with special emphasis on inter-governmental delegation of administrative power. 20

3.(b) संसद और राज्य विधान-मंडलों की, उनके विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए, व्यक्ति को दंडित करने की उनकी शक्तियों से संबंधित विधि पर चर्चा कीजिए ।
105
194
Discuss the law relating to the powers of Parliament and State Legislatures to punish a person for breach of their privileges. 15

3.(c) उन परिस्थितियों की और उनके प्रभावों की विवेचना कीजिए, जिनके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति 'वित्तीय आपत्काल' की घोषणा कर सकता है ।
Discuss the circumstances under which 'Financial Emergency' can be proclaimed by the President of India and effects thereof. 15

4.(a) क्या आपके विचार में भारत में न्यायिक सक्रियतावाद में वर्तमान प्रवृत्तियां, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्तों, जो कि संविधान के सारभूत लक्षणों में से एक समझा जाता है, के असंगत हैं ?
Do you think the current trends in judicial activism in India are inconsistent with the Principles of Separation of Powers, which is considered to be one of the basic features of the Constitution ? 20

4.(b) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में, निर्वाचन आयोग की शक्तियों और भूमिका का परीक्षण कीजिए ।
Examine the powers and role of Election Commission of India in conducting free and fair election. 15

4.(c) क्या आप समझते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत परिकल्पित लोकपाल की संस्था भारत में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में पर्याप्त रूप से प्रभावोत्पादी है ? विधायी ढांचे में अपर्याप्तताओं का कथन कीजिए, यदि कोई हो तो ।
Do you think the institution of Lokpal, as envisaged under the Lokpal and Lokayukta Act, 2013, is efficacious enough to curb corruption in India ? State the inadequacies in the legislative framework, if any. 15

खण्ड 'B' SECTION 'B'

5. निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए :
Answer the following in about 150 words each : 10×5=50

5.(a) अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के बीच के संबंध से संबंधित कौन-कौन सी थियोरियां हैं ? सविस्तार स्पष्ट कीजिए ।
What are the theories relating to relationship between International Law and Municipal Law ? Elaborate. 10

5.(b) विप्लव और युद्धावस्था की पहचान करने को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं ?
What are the factors that govern the recognition of insurgency and belligerency ? 10

5.(c) क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अपनी स्वयं की अधिकारिता के निर्धारण की क्षमता है ? निर्णयज विधि के साथ, विवेचना कीजिए ।
Does the International Court of Justice (ICJ) have the competence to determine its own jurisdiction ? Discuss with case law. 10

5.(d) 'विमान अपहरण' की परिभाषा दीजिए और हेग अभिसमय, 1970 के मुख्य उपबंधों की विवेचना कीजिए ।
Define 'hijacking' and discuss the main provisions of the Hague Convention, 1970. 10

5.(e) संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945 के अंतर्गत बल के प्रयोग और संबंधित अपवादों के प्रतिषेध से संबंधित उपबंधों पर टिप्पणी कीजिए ।
Comment on the provisions relating to prohibition of use of force and exceptions thereto under the U. N. Charter, 1945. 10

6.(a)

'खुला समुद्र' को परिभाषित कीजिए। खुला समुद्र पर अभिसमय के उपबंधों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। क्या खुले समुद्र में मछली पकड़ने की स्वतंत्रता को मान्यता प्राप्त है ?

Define 'high seas'. Discuss in brief the provisions of the convention on high seas. Is freedom of fishing on high seas recognized ? 20

6.(b)

वैश्विक अर्थ-व्यवस्था के स्थायित्व को बनाए रखने में, विश्व व्यापार संगठन (डब्लू.टी.ओ.) का विवाद निर्धारण निकाय (डी.एस.बी.) एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। टीका कीजिए।

The Dispute Settlement Body (DSB) of the World Trade Organisation (WTO) is playing an important role in maintaining the stability of the global economy. Comment. 15

6.(c)

अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्वक निपटारे की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। न्यायिक निपटारे को सविस्तार स्पष्ट कीजिए।

Enumerate the various methods of Peaceful Settlement of International disputes. Elaborate on judicial settlement. 15

7.(a)

'मानव पर्यावरण' से आप क्या अर्थ समझते हैं ? मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार में संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.ओ.) की भूमिका की विवेचना कीजिए।

What do you mean by 'human environment' ? Discuss the role of United Nations Organisation (UNO) in protecting and improving the human environment. 20

7.(b)

'राष्ट्रीयता' को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीयता के अर्जन और लोप की क्या रीतियां हैं ? विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता की क्या स्थिति होती है ?

Define 'Nationality'. What are the modes of acquisition and loss of nationality ? What is the position of nationality of married women ? 15

7.(c)

संधियों की विधि पर वियाना अभिसमय, 1969 के अंतर्गत उनके संशोधन और परिवर्तन से संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए।

Discuss the provisions relating to amendment and modification of treaties under the Vienna Convention on Law of Treaties, 1969. 15

8.(a)

नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि, 2017 के मुख्य प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। क्या आपके विचार में इससे नाभिकीय हथियारों का संपूर्ण विलोपन हो सकता है ?

Explain the main provisions of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, 2017. Do you think it can lead to complete elimination of nuclear weapons ? 20

8.(b)

अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत शरण के अधिकार की व्याप्ति की विवेचना कीजिए और 'भूभागीय' एवं 'इतर भूभागीय शरण' की व्याख्या कीजिए।

Discuss the scope of right of asylum under International Law and explain 'territorial' and 'extra-territorial' asylum. 15

8.(c)

अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों (कनवेंशनों) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि के मूल सिद्धान्तों को सविस्तार स्पष्ट कीजिए।

Elucidate the fundamental principles of International Humanitarian Law as envisaged under International Conventions. 15